

(iv)

16/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

—: न्यास - विलेख :-

(अन्तर्गत धारा 5 पठित धारा 6 सपठितधारा 3 इन्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट 1982)

यह कि- मैं अनिल कुमार पुत्र स्व० ओंकार नाथ सिंह आयु 58 वर्ष निवासी-ग्राम व पोस्ट सिलौधी कला तहसील-मेजा, जिला-प्रयागराज जो कि इस न्यास का न्यास कर्ता, कहा जायेगा/गया है।

जो कि इस प्रलेख द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूँ जिसका नाम

श्री कान्हा श्याम एजुकेशनल एवम् चैरिटेबल ट्रस्ट होगा

- यह कि न्यासकर्ता की इच्छा है कि अपने जीवन काल में उपरोक्त नामांकित ट्रस्ट स्थापित कर देवे।
- यह कि इस ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्ता के द्वारा गठन/अंकन रू० 11000/की राशि (घल सम्पत्ति) से तैयार किया गया है।
- यह कि इस ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा स्थापित/ट्रस्ट पूर्णतया चैरिटेबल हो तथा यह धन सम्पत्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित जन-समुदाय के कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति तथा कृषि-विकास, कृषक उत्थान, सामाजिक विकास, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य-शालाओं विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं आवासीय-विद्यालयों, अस्पतालों- डिस्पेन्सरियों की स्थापना कृषक कल्याण,



(1)

क्रमांक 857 तिथि 15/06/2020 मूल्य 210 प्रयोग  
 सेवा का नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  
 पता नया दिल्ली

लॉ नं० 470 अर्थात् 31 मार्च 2021 तक  
 स्वामी विवेकानंद अरविन्द कुमार श्रीवास्तव  
 चौरासी बम्हा कब्रिहरी, गवाणराम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 JUN 2011

FF 702073

विकास उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग की स्थापना/संचालन जन सुधार के विकास व कल्याण एवं सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के हितों के

जनहित में कार्य करने एवं केवल समाजोत्थान हेतु खर्च किये जाने की इच्छा के साथ उनके बेहतर जीवन स्तर के लिये एवं सामाजिक आर्थिक नैतिक विकास कार्यों के करने हेतु समर्पित करते हुए इस ट्रस्ट को गठित किया गया है।

- यह कि ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा उक्त कार्यस घनराशि समय-समय पर आगे और अभिवृद्धि की जाने तथा दूसरी अन्य अस्थाई-स्थाई, सम्पदाओं यथा उपहार, दान, आवृत्ति प्राप्ति, आवंटन आदि ट्रस्ट को समर्पित करने का संकल्प करते हैं, या करते रहेंगे।
- यह कि मैं संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को (समाज से ) जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य के रूप में नामित/नियुक्ति/मनोनयन जो कि निगमों-उपनियमों व उद्देश्यों के अनुरूप ट्रस्ट की उन समस्त सम्पत्तियों के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु संरक्षक/मालिक/प्रबन्धक/सहयोगी होंगे जिनकी नामित नियुक्ति/मनोनयन इनके द्वारा किये गए कार्यों एवं कर्तव्यों के अनुरूप ट्रस्टी सदस्य यानी न्यास मण्डल-सदस्य माने जायेंगे।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 JUN 2020 FF 702074

➤ यह कि सभी निम्न न्यासी गण बालिग है और भारतीय संविधान अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत सौदा (कान्ट्रेक्ट/एग्रीमेन्ट) करने के अधिकारी है/अर्थात् इन्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा के प्राविधान के अनुसार निम्न सभी व्यक्ति इस न्यास के न्यासी होने हेतु पूर्णरूप से सक्षम है अर्हता रखते है।

क्र. सं.	नाम/पिता-पति का नाम	उम्र	पता	व्यवसाय	पद नाम
1	अनिल कुमार पुत्र स्व० ओंकार नाथ सिंह	56	ग्राम व पोस्ट सिलौधी कला तहसील-मेजा, जिला-प्रयागराज	बिजनेस	मुख्य ट्रस्टी
2	आलोक सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह	32	ग्राम व पोस्ट सिलौधी कला तहसील-मेजा, जिला-प्रयागराज	कृषि	ट्रस्टी
3	हिमांशु अनिल सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह	30	ग्राम व पोस्ट सिलौधी कला तहसील-मेजा, जिला-प्रयागराज	समाजसेवा	ट्रस्टी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



अब इस ट्रस्ट डीउ के निम्नलिखित रूप में जाना जाएगा।

मेरे द्वारा स्थापित उक्त न्यास का श्री कान्हा श्याम एजुकेशनल एवम् चैरिटेबल ट्रस्ट  
होगा

- पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट सिलौधी कला तहसील-मेजा,  
जिला-प्रयागराज होगा।
- उक्त न्यास/ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों के स्थापित/सुगम प्राप्ति के लिए कार्यालय की शाखाएं प्रदेश व देश के अन्य शहरों-कस्बों स्थानों पर स्थापित की जा सकेंगी, जिसको संस्थापक/मुख्य न्यासी/प्रबन्ध निदेशक व प्रबन्धक ट्रस्टी, निर्देशक तथा अध्यक्ष/न्यासी गणों की संतुष्टि के बाद ही सम्भव होगा, और उनके कार्यालयों के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं/समितियों उपसमितियों का विभागीय पंजीकरण भी यथा स्थान आवश्यकतानुसार विभागों/कार्यालयों व निबन्धक कार्यालयों में कराया जा सकेगा/कराया जाएगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



702076

- मेरे द्वारा स्थापित न्यास का उद्देश्य जन कल्याण, धनीय, ~~वैश्विक~~ होगा, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर ट्रस्ट का पूर्ण स्वामित्व रहेगा जिसकी सामाजिक एवं पुण्यार्थ प्रयोजन हेतु होगी।
- यह कि मैं उपरोक्त न्यास का संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य न्यासी/ट्रस्टी रहूँगा तथा मैं न्यास/ट्रस्ट का अध्यक्ष भी कहा जाऊँगा। मेरे द्वारा मनोनीत न्यासी गण इस ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये उपरोक्त सहयोगी/ट्रस्टी होंगे/रहेगे, जो न्यास के नियमों-उपनियमों पर सहमत होंगे न्यास के नामित व्यक्ति के हित व उद्देश्य हेतु निस्वार्थ भाव से सहयोग करेंगे इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जाएगा तथा मुख्य न्यासी एवं न्यासियों को संयुक्त रूप को न्यास मण्डल, कहा जाएगा।
- मेरे-निधन के पश्चात् रिक्त पद पर (मुख्यन्यासी/अध्यक्ष) मेरे द्वारा चयनित व्यक्ति या मेरे द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार नामित न्यासी ही होगा। यदि मेरी वसीयत या नामित व्यक्ति के चयन के पूर्व मृत्यु होती है तो मेरा प्येष्ठ पुत्र मेरा वारिस होगा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही मुख्य न्यासी बनेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702077

- यह कि इस ट्रस्ट के सभी न्यासी न्यास मण्डल द्वारा हर परिस्थिति में इसके उद्देश्य के अनुसार जन हितार्थ (शैक्षिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, महिला कल्याण, आवास, पशुपालन, विकास-स्वास्थ्य, सेजगार आदि) कार्यों को संचालित/स्थापित करेगा, ट्रस्ट के आवश्यकतानुसार व उद्देश्यों के अनुसार जिससे समाज के हर वर्गों, जाति, धर्म को लाभ हो सके बढ़ाया जा सकेगा, सभी प्रकार के ट्रस्ट के सदस्य संस्थापक ट्रस्टी एवं सहयोगियों द्वारा दान, प्रदत्त कार्पस राशि प्रदान अनुदान दान एवं सहयोग से प्राप्त होगी।
- ट्रस्ट के (ट्रस्ट मण्डल) कुल सदस्यों की संख्या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य न्यासी को मिलाकर 2 से कम एवं 15 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा अन्य सदस्यों जो कि स्वयं अपना योगदान/सहयोग प्रदान करेगा या इच्छुक होगा को आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार मनोनयन/चयन प्रबन्धक ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी/न्यास मण्डल के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित दिन बुधवार/तारीख 17/माह जून/वर्ष 2020 के अनुरूप इस ट्रस्ट का प्रविधान किया गया।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्य -

1 - ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जन-समुदाय को धर्म के प्रति जागरूकता एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र स्वास्थ्य जीविकोपार्जन में सहयोग के माध्यम से सशक्ति बनाना। यह कार्य भारत वर्ष के सभी क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संपादित किया जायेगा।

2 न्यास द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के जनपदों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी से लेकर बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लॉ कालेज, इंजीनीयरिंग कालेज, टेक्निकल कालेज, एग्रीकल्चर कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज, आवासीय कालेज, होटल मैनेजमेन्ट, खाद्य प्रसंस्करण, एमबीबीबीएस, बीएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड, बीटीसी, आयुर्वेदिक व्यावसायिक शिक्षा, एनटीटी, पॉलीटेक्निक, इत्यादि आने वाले अन्य नये विषयों से सम्बन्धित कालेज खोलकर संचालन करना।





उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाह विभाग आम वर्ग के परिवार के बच्चों को मुक्त प्रारंभिक सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए

वितरण/उपलब्ध कराना प्रोत्साहन राशि प्रदान करना तथा

विद्यालय/पुस्तकालय/बाघनालय का संचालन व खेलकूद सांस्कृतिक ज्ञानवर्धन हितार्थ कार्यक्रमों का आयोजन करना। साक्षरता अभियान को सफल बनाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायपरक शिक्षा की व्यवस्था करके शिक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कराना एवं न्यास द्वारा जन हितार्थ निःशुल्क छात्रावास, आदि की स्थापना/संचालन करना/ कराना सभी समुदाय वर्गों में वोकेशनल प्रोग्राम एवं सक्षम बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित कराना।

4 समाज के अनुसूचित जातियों, जनजातियों/अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों/दलितों आदि के उत्थान शैक्षिक वातावरण के लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन कराना शिक्षा के प्रचार-प्रसार, प्रबन्धक व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/तंकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात् शिक्षण हेतु प्रोत्साहन करना कराना एवं न्यास द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की महिलाओं और

*(Handwritten signature)*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बच्चों शिष्यार्थियों में एवं शिक्षा केंद्रों के द्वारा मूल-शिक्षा एवं मैत्री भावना के विकास के लिए कार्य करना विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी, परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को उनके कैरियर विकास के प्रयास में उनको सहयोग प्रदान करना, गरीब व मात्र छात्रों और उस श्रेणी में आने वाले लोगों हेतु कोचिंग एवं निःशुल्क बोर्डिंग व लाजिंग की व्यवस्था करना।

5 न्यास द्वारा असहाय/निर्बल/निर्धन/विधवा एवं समाज सोशित परिवार को मुफ्त धिकित्सकीय सेवा, सलाह एवं दवा आदि की सुविधा प्रदान करना, एवं यथोचित मार्ग देना, तथा स्वस्थ समाज के विकास के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर/गोष्ठियों आदि का आयोजन/संचालन कर उन्हें समाज में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना/मार्ग दर्शन करना तथा ग्रामीण, शहरी गाँव, मुहल्लों, वार्डों में संस्था के स्वयं सेवकों/सदस्यों/कर्मचारियों के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण/औषधि वितरण/प्रशिक्षण आदि का संचालन कर स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु प्रसास करना/कराना एवं न सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय-समय पर टीकाकरण, प्रतिरक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, पल्स पोलियों शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



702072

8 गरीब/मध्यवर्गीय एवं खेतिहार किसानों को समय-समय पर किसानों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं चलायी जा रही योजनाओं के विषय में अवगत कराना व उचित मार्ग दर्शन करना/कराना एवं कृषि सम्बन्धी आधुनिक यंत्रों की औद्योगिक इकाईयो की स्थापना करके लघु कृषकों तक उसकी सुविधा उचित मार्ग दर्शन के साथ प्रदान करना एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, कानगारों बटाई किसान को कृषि यंत्र बीज खाद्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराना एवं असक्षम व गरीब किसानों/सदस्यों से उनके सुविधानुसार भुगतान प्राप्त करना एवं उसर/बंजर भूमि के विकास हेतु कृषकों को कृषि पर आधारित उद्योगों, बीज विकास यंत्रों रासायनिक, जैविक उर्वरकों, जैव कीट नाराकों जड़ी बूटियों की उपयोगिता तथा उसको उत्पन्न करने की विधियों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षित कराना व हर्बल/आयुर्वेदिक औषधियों से लोगों का निःशुल्क उपचार करना/कराना प्रेरित करना, तथा हर्बल औषधियों की कृषि हेतु प्रेरित करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



FF 702081

न्यास का वित्तीय वर्ष -

न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, बजट हर वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह से पहले प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्य :-

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :-

1. आयोजनों के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यों से दान/सहयोग राशि लेना और उसका ब्यौरा रखना। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं/समितियों एवं उपसमितियों का गठन/स्थापना करना तथा प्रत्येक समिति में आवश्यकतानुसार सदस्यों का चयन करना एवं कार्य पूर्ति होने के पश्चात समितियों को भंग करने का अधिकार मुख्य न्यासी का रहेगा।
2. न्यास में सभी फैसले सर्वानुमति अथवा बहुमत के आँधार पर लिए जायेंगे। न्यास की बैठक हर वर्ष एक बार होगी।



3. न्यास की सम्पत्तियों की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।
4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।
5. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, आश्रमों, विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, कार्यक्रमों एवं अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में लागू करना।
6. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/न्यास के हित में व्यक्तियों, से उपहार व अन्य रूप से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक से लोन लेना व ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रखने व कय विकय करने का अधिकार न्यास मण्डल के पास रहेगा जो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यो को करना।
7. न्यास के अधीन गठित होने वाली संस्थाओं, समितियों के अधिकारीगण मुख्य न्यासी/न्यास मंडल के अधीन होंगे और सभी फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर किये जायेंगे एवं न्यास मंडल के सदस्यों को कार्यानुसार मानदेय दिया जायेगा।

#### ट्रस्ट प्रबंधन बोर्ड (गठन):-

यह कि संस्थापक न्यासी/मुख्यन्यासी/अध्यक्ष को ही न्यासियों (न्यासमंडल/प्रबंधन बोर्ड) से ही न्यासी को चुनने/मनोनयन का अधिकार होगा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन एवं कार्यो के देख-रेख संचालन कार्य व्यवस्था हेतु यदि आवश्यक होगा।



ट्रस्टी को दैनिक प्रशासन की देखभाल ट्रस्टीयों द्वारा किया जायेगा जो मुख्य ट्रस्टी के नियंत्रण दिशा-निर्देशन एवं देख-रेख में कार्य करेगा।

#### शक्तियाँ :-

ट्रस्ट प्रबन्धन बोर्ड के किसी शक्ति स्थान को ट्रस्टीगण (न्यास मंडल) द्वारा मुख्य ट्रस्टी से अनुमोदन के पश्चात भरा जायेगा और वह व्यक्ति ट्रस्ट प्रबन्धन बोर्ड की निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त होगा।

#### ट्रस्ट की बैठक एवं बैठक वृत्त :-

आम तौर पर प्रत्येक तीन माह में ट्रस्टीगण (न्यास मण्डल) की बैठक होगी। अथवा तब भी जब यह आवश्यक हो, कि कार्य को संतोष जनक ढंग से संपादित करने के लिए बैठक आवश्यक हो।

#### न्यास का कोष :-

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क अन्य माध्यम व नेटवर्क आदि के माध्यम से प्राप्त योगदान दान, अनुदान चन्दा एवं सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियाँ एवं ली गयी ऋण राशियाँ निहित होगी।
2. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए उसका खाता किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन संयुक्त रूप से मुख्य ट्रस्टी व अन्य एक ट्रस्टी करेंगे।

#### ट्रस्ट की सम्पत्तियों के लिए आवेदन :-

ट्रस्ट की सम्पत्तियों और धन का उपयोग ट्रस्ट के प्रशासन और उससे संबंधित व्यवसाय एवं अन्य गतिविधियों के उपयोग में लाया जायेगा।

#### अभिलेख :-

ट्रस्टीगण ट्रस्ट की आय-व्यय, भुगतान, लेन-देन आदि का समुचित रिकार्ड बनाये रखेंगे। ट्रस्ट की लेखा पुस्तिका को प्रति वित्तीय वर्ष के अंत में योग्य ऑडिटर या चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

#### कार्य प्रणाली की अनियमितता :-

किसी भी ट्रस्टी सदस्य को अतिरिक्त नामांकन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की छूट नहीं होगी।





गवाह 1

प्रकाश सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह  
ग्राम-सोनाई करछना प्रयागराज



गवाह 2

विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री रामबहादुर सिंह  
ग्राम-आकोडा करछना प्रयागराज।


दिनांक : 17.06.2020

मसविदाकर्ता : देवानन्द सिंह एडवोकेट  
मेजा प्रयागराज

आवेदन सं०: 202000894001840

वही संख्या 4 जिला स्तर पर 12 के पृष्ठ 153 से 180 तक क्रमांक  
16 पर दिनांक 17/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
अनंद चंद्र द्विवेदी (पठ)  
उप निबंधक : भेजा  
प्रधानराज  
17/06/2020

चिट्त करे

